

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा


फर्द अहकाम

(नियम 26)

मन्शीसिंह बनाम अनिता वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण  
दिनांक 29.5.2022 को किया जा चुका है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा(खैरथल-तिजारा)



Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुन्शीसिंह बनाम अनिता वगैरा

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज  
वाद पत्र - धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
वाद संख्या 465 वर्ष 2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी वास्ते तलबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने पेश करें। पत्रावली 14-11-2022 को पेश हो।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

आज पत्रावली पेश हुई। *9/11/22* उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व आदेशियानुसार वास्ते *तलबी*  
में दिनांक *09/11/22* को पेश हो।

*09/11/22* उपखण्ड अधिकारी, तिजारा  
आज पत्रावली पेश हुई। *9/11/22* उपस्थित।  
पत्रावली पूर्व आदेशियानुसार वास्ते *तलबी*  
में दिनांक *09/11/22* को पेश हो।

*21/02/22* उपखण्ड अधिकारी, तिजारा  
आज पत्रावली पेश हुई। अनिवार्य रूप  
आज मार्ग समन किया है। आज पत्रावली  
दिनांक *14/3/22* को पेश हो।

*14/3/22* उपखण्ड अधिकारी, तिजारा  
आज पत्रावली पेश हुई। अनिवार्य रूप  
आज मार्ग समन किया है। आज पत्रावली  
दिनांक *13/6/22* को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

आज पत्रावली वादी आफिस लिफ्टेन व 510 पत्र पर पेश की वादी आफिस 500 रुबि कास 20 Not Press किया है धरा वादी आफिस Not Press पर वादी का कास जारी किया जाता है धरा पत्रावली कास रिजिड तहमील तवांर से 25- हीन दाजिम दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राजस्थान

Not Press  
*[Signature]*